N.C.R.B/एन.सी.आर.बी
I.I.F.-I /एकीकृत जाँच फार्म-I

FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.

(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. **District (जिला):** ACB DISTRICT **P.S. (थाना):** C.P.S Jaipur **Year (वर्ष):** 2025

2. **FIR No. (प्र.सू.रि.सं):** 0146 **Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय):** 11/06/2025 20:06 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7
2	भारतीय न्याय संहिता (बी एन एस), 2023	61(2)

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

   1. **Day(दिन):** दरमियानी दिन **Date From (दिनांक से):** 05/06/2025 **Date To (दिनांक तक):** 10/06/2025

   Time Period (समय अवधि): पहर **Time From (समय से):** 11:30 बजे **Time To (समय तक):** 13:31 बजे

   (b) **Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 11/06/2025 **Time (समय):** 16:00 बजे

   (c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) :** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 001 **Date & Time (दिनांक एवं समय)** 11/06/2025 20:06:47 बजे

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** लिखित

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

   1. (a) **Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी):** EAST, 32 किमी **Beat No. (बीट सं.) :** NOT APPLICABLE

   (b)**Address(पता):** KARYALYA SAHAYAK ABHINYATA A.V.V.N.L., CHIDAVA JILA JHUNJHUNU, KE PASS WALI GALI

   (c **In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)**

   Name of P.S (थाना का नाम): **District(State) (जिला (राज्य)):**

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name(नाम):** VIMALESH KUMAR

(b) **Father's Name (पिता का नाम):** SUMER SINGH

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष):** 1990 **(d)Nationality(राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No(यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की तिथि): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address(पता):**

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	GRAM UDHAMPURA, SURAJGARH, JHUNJHUNU, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	GRAM UDHAMPURA, SURAJGARH, JHUNJHUNU, RAJASTHAN, INDIA

(j) **Phone number (दूरभाष न.):** **Mobile (मोबाइल न.):** [redacted]

7. **Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):**

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	NARENDRA SINGH SHEKHAWAT		पिता:SHYAM SINGH SHEKHAWAT	1. WARD NO.06,SULTANA,JHUNJHUNU, RAJASTHAN,INDIA
2	AAZAD SINGH		पिता:TARACHAND	1. GADLI,JHUNJHUNU,RAJASTHA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):**

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		30,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-)
(चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 30,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary)
(प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

निवेदन है कि दिनांक 05.06.2025 के वक्त 11.30 एएम पर श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मन् पुलिस निरीक्षक को जरिये वॉटस अप कॉल कर निर्देश फरमाये कि परिवादी श्री विमलेश के मोबाईल नम्बर [redacted] से संपर्क कर कार्यवाही हेतु कहा है, आदि पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा मेरे मोबाईल नम्बर [redacted] से परिवादी के मोबाईल नम्बर [redacted] पर वार्तालाप की तो परिवादी ने कहा कि मैं सौर उर्जा लगाने का व्यवसाय करता हूं। सहायक अभियंता अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड चिड़ावा में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से जुड़ी फाईलो को स्वीकृत करने की एवज में वहां का एईएन व कर्मचारी रिश्वत मांग रहे है जिन्हे मै रिश्वत लेते हुये रंग हाथ पकड़वाना चाहता हॅू। मै अभी झुंझुनूं नही आ सकता हॅू। आप अपने किसी कर्मचारी को चिड़ावा भिजवा दो। जिस पर परिवादी को हिदायत खास की गयी, कि मैं आपके पास रिश्वत मांग सत्यापन हेतु कार्यालय से एक कर्मचारी को भिजवा रहा हॅू जो आपसे चिड़ावा पहुंच सम्पर्क कर लेगा। इस पर समय 11.45 एएम पर कार्यालय में उपस्थित श्री नरेन्द्र कानि 81 को मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा बुलाकर अपने पास से कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड एवं परिवादी श्री विमलेश के मोबाईल नम्बर देकर चिड़ावा पहुंच परिवादी से सम्पर्क कर गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन करने की हिदायत की गई। कानि को यह भी हिदायत की गई की परिवादी से प्रार्थना पत्र प्राप्त कर गोपनीय रिश्वत मांग सत्यापन की कार्यवाही करें। वक्त 04.30 पीएम पर कानि श्री नरेन्द्र नम्बर 81 मय परिवादी श्री विमलेश कुमार पुत्र श्री सुमेर सिंह जाति जाट उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम उधमपुरा तहसील सूरजगढ़ जिला झुंझुनूं के चिड़ावा से उपस्थित चौकी आये तथा श्री नरेन्द्र कानि 81 ने डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड, परिवादी द्वारा दिया गया प्रार्थना पत्र मय फर्द सुपुदर्गी डिजीटल वॉयस रिकार्डर के मन् पुलिस निरीक्षक को पेश कर बताया कि मैं चिड़ावा पहुचंकर परिवादी श्री विमलेश कुमार से मिलकर उनसे प्रार्थना पत्र मय रसीदे प्राप्त किया व फर्द सुपुदर्गी डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड तैयार कर डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड को चालु व बन्द करने कि विधि से समझाईस कर डिजिटल वॉयस रिकार्डर चालू कर श्री विमलेश कुमार को सुपुर्द कर रिश्वत मांग सत्यापन करने हेतु कार्यालय सहायक अभियंता अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड चिड़ावा रवाना कर हिदायत खास की थी, मैं कार्यालय के आस-पास अपनी उपस्थिति छुपाते हुये साईड में खड़ा हो गया, तत्पश्चात करीबन 40 मिनट बाद परिवादी सहायक अभियंता कार्यालय से वापिस आया, जिनसे मैने डिजीटल वॉयस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द कर मेरे पास सुरक्षित रख लिया, परिवादी ने बताया कि मेरी श्री आजाद सिंह ए.ई.एन. व श्री नरेन्द्र सिंह क्लर्क से बात हो गई है जिन्होने मेरी सौलर पैनल की फाईल स्वीकृत करने के लिए मेरे से 30,000 हजार रूपये की रिश्वत मांग की है। मै परिवादी श्री विमलेश कुमार को हमराह लेकर आया हूं। मन् निरीक्षक द्वारा परिवादी से पूछताछ की तो परिवादी ने भी श्री नरेन्द्र कानि की बातो की पुष्टी की। मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी द्वारा प्रस्तंत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा डिजीटल वॉयस रिकार्डर मे लगे मैमोरी कार्ड को चलाकर सुना गया तो कानि श्री नरेन्द्र एवं परिवादी द्वारा बताई गई बातो की पुष्टी होना पाई गई। परिवादी का प्रार्थना पत्र, पत्रावली जमा की रसीदे मय परिवादी का आधार कार्ड की स्वयं प्रमाणित प्रतिलिपि, फर्द सुपुदर्गी डिजीटल वॉयस रिकार्डर एवं डिजिटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के कार्यालय की अलमारी में सुरक्षित रखा गया। वक्त 07.00 पीएम पर परिवादी ने बताया कि श्री नरेन्द्र सिंह का दिनांक 06.06.2025 को रिश्वत अव्वल वक्त देनी है जिस पर परिवादी श्री विमलेश कुमार को हिदायत की गई कि कल 7.00 ए.एम. पर रिश्वत राशि लेकर एसीबी कार्यालय में उपस्थित होना है जिस पर परिवादी सहमत होकर रवाना हो गया। वक्त 08.10 पीएम पर श्री करण सिंह हैड कानि 104 को स्वतंत्र गवाह को कल दिनांक 06.06.2025 को 7.00 एएम पर उपस्थित होने हेतु पाबन्द करने की हिदायत की गई। जिस पर श्री करण सिंह हैड कानि ने बताया कि उप वन सरक्षक झुंझुनूं को गोपनीय कार्यवाही हेतु कल दिनांक 06.06.2025 को 7.00 ए.एम पर दो सरकारी कर्मचारी भिजवाने हेतु निवेदन किया गया। दिनांक 06.06.2025 के वक्त 07.00 एएम पर उप वन सरक्षक कार्यालय झुंझुनूं से पाबन्दशुदा दो स्वतंत्र गवाह श्री नितिन सिंह पुत्र श्री सुल्तान सिंह जाति राजपूत उम्र 19 साल निवासी वार्ड नम्बर 27 उदयपुरवाटी पुलिस थाना उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं हॉल कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप वन संरक्षक झुंझुनूं, श्री दिनेश कुमार पुत्र श्री हरिराम जाति जाट उम्र 31 वर्ष निवासी भोजासर तहसील मण्डावा जिला झुंझुनूं हॉल कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप वन संरक्षक झुंझुनूं उपस्थित कार्यालय आये। वक्त 08.25 एएम पर परिवादी श्री विमलेश कुमार उपस्थित कार्यालय आया। जिसका पूर्व से उपस्थित स्वतंत्र गवाह श्री नितिन सिंह

कनिष्ठ सहायक, श्री दिनेश कुमार कनिष्ठ सहायक कार्यालय उप वन संरक्षक झुंझुनूं से आपसी परिचय करवाया। स्वतंत्र गवाह को अब तक की गई कार्यवाही से अवगत कराया गया। स्वतंत्र गवाह को परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पढकर सुनाया व ट्रेप कार्यवाही में गवाह रहने की सहमती प्राप्त की गई व परिवादी के प्रार्थना पत्र पर दोनो गवाहान के हस्ताक्षर करवाये गये। वक्त 11.06 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक कार्यालय के डिजिटल वायस रिकार्ड में नया मैमोरी कार्ड लगाकर परिवादी के मोबाईल नम्बर [redacted] से आरोपी श्री नरेन्द्र, लिपिक के मोबाईल नम्बर [redacted] पर वॉटस अप कॉल कर मोबाईल का स्पीकर ऑन कर वार्ता करवाई गई तो आरोपी श्री नरेन्द्र सिंह ने कहा की आप दोपहर 02 बजे बाद ऑफिस आ जाना। परिवादी श्री विमलेश कुमार व आरोपी श्री नरेन्द्र सिंह के मध्य मोबाईल पर हुई वाटसअप वार्ता को कार्यालय के डिजिटल टेप रिकार्ड में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया। वक्त 12.30 पीएम परिवादी श्री विमलेश कुमार व आरोपीगण श्री आजाद सिंह ए.ई.एन. व श्री नरेन्द्र सिंह क्लर्क कार्यालय सहायक अभियंता अजमेर विधुत वितरण निगम लिमिटेड चिड़ावा जिला झुंझुनूं के बीच दिनांक 05.06.2025 को हुई बातचीत की डिजिटल वॉयस रिकार्डर में लगे मेमोरी कार्ड को मन् पुलिस निरीक्षक ने अलमारी से निकालकर स्वतंत्र गवाह श्री नितिन सिंह व श्री दिनेश-कुमार व परिवादी श्री विमलेश कुमार की उपस्थिति में कार्यालय के डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता को कम्प्युटर से कनेक्ट कर रिकॉर्ड वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्ट शब्द ब शब्द एवं हिन्दी रूपान्तरण श्री नरेन्द्र कानि. 81 द्वारा तैयार किया जाकर उक्त रिकॉर्ड वार्ता से चार पेनड्राईव तैयार किये गये। मैमोरी कार्ड एवं शिल्ड किये जाने वाले पेनड्राईव की हैश वैल्यु पृथक से निकाल कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। एक पेनड्राईव को उसी की पैकिंग में रखकर सफेद कपडे की थैली में डालकर कपडे की थैली को शिल्ड किया जाकर पैकेट पर गवाहान एवं संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कपडे की थैली पर मार्क A अंकित किया गया। दो पेनड्राईव आरोपीगण हेतु व एक पेनड्राईव अन्वेषण हेतु खुले रखे गये। डिजीटल वॉयस रिकार्डर से मैमोरी कार्ड Chiptron 08 जी.बी. को निकालकर उसे उसी की पैकिंग में रखकर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर कपडे की थैली को सील्ड मोहर कर पैकेट पर गवाहान एवं संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर पैकेट पर मार्क A-1 अंकित किया गया। सील्ड पैकेटों को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। पेनड्राईव को कम्प्युटर एवं टेबल स्पीकर से चलाकर सुनाया गया तो रिकार्ड आवाज में परिवादी ने एक आवाज स्वयं की तथा दुसरी आवाज आरोपीगण श्री आजाद सिंह ए.ई.एन. व श्री नरेन्द्र सिंह क्लर्क की आवाज होने की पहचान की है। कपडे के पैकेट को सील्ड करने में कार्यालय की पीतल की ब्राशसील नम्बर 28 काम में ली गई जिसकी फर्द नमूना सील पृथक से तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। वक्त 01.00 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार परिवादी श्री विमलेश कुमार को रिश्वत में दिये जाने वाले रूपये पेश करने को कहा तो परिवादी ने अपने पास से 30,000/- रूपये भारतीय मुद्रा के पॉच-पॉच सौ रूपये के 60 नोट कुल 30,000/- रूपये पेश किये जिनके नम्बरों का विवरण फर्द पेशकशी एवं दृष्टांत फिनोफ्थलीन पाउडर में अंकित करवाकर नोटो पर श्री दलीप कुमार कानि10 से हस्ब कायदा फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया। गवाह श्री नितिन सिंह से परिवादी श्री विमलेश कुमार की जामा तलाशी लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल फोन के अलावा कोई वस्तु नहीं रहने दी गई। फिनोफ्थलीन पाउडर लगे 30,000/- रूपये के नोट श्री दलीप कुमार कान 10 से परिवादी की पहनी हुई जींस पेंट की सामने की दाहिनी जेब में सावधानी पूर्वक रखवाये जाकर परिवादी श्री विमलेश कुमार को हिदायत दी गई तथा तय ईशारे की समझाईस की गई। दोनों गवाहान को भी आवश्यक हिदायत दी गई। प्रदर्शन करवाकर दोनों पाउडरों की आपसी प्रतिक्रिया व महत्व परिवादी व दोनों गवाहान को समझाया गया। श्री दलीप सिंह कानि 10, परिवादी, दोनों गवाहान एवं ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। ट्रेप कार्यवाही में धोवन लिए जाने हेतु काम में लिए जाने वाले प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासों व कॉच की शीशियो को साफ पानी व साबुन से धुलवाकर साफ करवाते हुए ट्रेप बॉक्स तैयार करवाया गया। ट्रेप पार्टी के सभी सदस्यों को गोपनियता बनाये रखने व तय ईशारे बाबत् समझाईस कर मुनासिब हिदायत दी गई। उक्त डिजीटल वॉयस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड रिश्वत के लेन देन के समय होने वाली बातचीत को सावधानी पूर्वक टेप करने हेतु परिवादी श्री विमलेश कुमार को सुपुर्द कर मुनासिब हिदायत दी गई। उक्त कार्यवाही की विस्तृत फर्द पेशकसी, सुपुर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थलीन पाउडर पृथक से तैयार कर शामिल कार्यवाही की गई। श्री दलीप कुमार कानि 10 को कार्यालय में छोड़ा गया। वक्त 01.30 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय श्री रोहिताश्व सिंह सउनि, त्रिलोक सिंह हैड कानि 155, श्री करण सिंह हैड कानि 104, कुमार सानु कानि. 138, श्री नरेन्द्र कुमार कानि 81, श्री विक्रम सिंह कानि 92, श्री राकेश कानि 243, श्री प्रमोद पुनिया कनिष्ठ सहायक, परिवादी श्री विमलेश कुमार, स्वतंत्र गवाह नितिन सिंह, एवं श्री दिनेश कुमार मय एवं लेपटॅाप, प्रिंटर एवं ट्रेप बॉक्स के दो प्राईवेट वाहन से चिड़ावा के लिए रवाना हुए। वक्त 02.30 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय श्री रोहिताश्व सिंह सउनि, त्रिलोक सिंह हैड कानि 155, श्री करण सिंह हैड कानि 104, कुमार सानु कानि. 138, श्री नरेन्द्र कुमार कानि 81, श्री विक्रम सिंह कानि 92, श्री राकेश कानि 243, श्री प्रमोद पुनिया कनिष्ठ सहायक, परिवादी श्री विमलेश कुमार, स्वतंत्र गवाह नितिन सिंह, एवं श्री दिनेश कुमार मय एवं लेपटॅाप, प्रिंटर एवं ट्रेप बॉक्स दो प्राईवेट वाहन के सहायक अभियंता एवीवीएनएल ऑफिस चिड़ावा के पास पहुंचकर वाहनो को साईड मे लगा परिवादी व समस्त टीम को ब्रीफ किया गया। वक्त 02.45 पीएम पर परिवादी श्री विमलेश कुमार को डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड सुपुर्द कानि नरेन्द्र कुमार के साथ आरोपी श्री नरेन्द्र सिंह को रिश्वत राशि

देने हेतु कार्यालय सहायक अभियंता एवीवीएनएल ऑफिस चिड़ावा के लिये रवाना किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक मय टीम, स्वतंत्र गवाहान परिवादी के इशारे के इन्तजार में अपनी पहचान छुपाते हुये सहायक अभियंता एवीवीएनएल ऑफिस चिड़ावा के आसपास मुकिम हुये। वक्त 03.05 पीएम पर परिवादी श्री विमलेश कुमार व श्री नरेन्द्र कुमार कानि सहायक कार्यालय अभियंता एवीवीएनएल चिडावा से बिना ईशारा किये वापस आये। परिवादी ने बताया कि मै श्री नरेन्द्र सिंह क्लर्क के पास गया तो उन्होने शाम को 6.00 बजे बाद आपको कॉल कर लुंगा। कानि नरेन्द्र कुमार ने मन् निरीक्षक पुलिस को डिजिटल टेप रिकार्डर सुपूर्द किया जिसे मैने मेरे पास सुरक्षित रखा। शाम को आरोपी का कॉल आने पर अग्रीम कार्यवाही की जावेगी। मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान ट्रेप पार्टी सदस्यो के रवाना हो चिडावा बाईपास पर मुकिम रहे। वक्त 04.58 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक परिवादी के मोबाईल नम्बर [redacted] का स्पीकर ऑन कर आरोपी श्री नरेन्द्र, लिपिक के मोबाईल नम्बर [redacted] पर कॉल कर वार्ता करवाई तो आरोपी श्री नरेन्द्र सिंह ने कहा की 6.00 बजे तक कॉल कर लेना। परिवादी व आरोपी के मध्य मोबाईल पर हुई वार्ता को कार्यालय के डिजिटल वाईस रिकार्डर में लगे मैमोरी कोर्ड में रिकार्ड किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक मय टीम, परिवादी के चिड़ावा में ही मुकिम रहा। वक्त 06.08 पीएम पर परिवादी श्री विमलेश कुमार के मोबाईल नम्बर [redacted] से आरोपी श्री नरेन्द्र सिंह के मोबाईल नम्बर [redacted] पर वाटसअप कॉल करवाई तो आरोपी श्री नरेन्द्र सिंह ने कहा कि मै 5-10 मिनट में बात करता हॅू। परिवादी व आरोपी मोबाईल पर हुई वाटसअप काल को कार्यालय के डिजिटल वायस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया। वक्त 06.31 पीएम पर परिवादी श्री विमलेश कुमार के मोबाईल नम्बर [redacted] से आरोपी श्री नरेन्द्र सिंह के मोबाईल नम्बर [redacted] पर वॉटसअप कॉल करवाई तो आरोपी ने कहा कि आप सूरजगढ बाईपास तिराहे पर आ जाओ मै वही आ रहा हॅू। परिवादी व आरोपी के मोबाईल पर हुई वाटसअप काल को कार्यालय के डिजिटल वायस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया। वक्त 06.49 पीएम पर परिवादी श्री विमलेश कुमार को कार्यालय का डिजिटल वायस रिकार्डर में लगा मैमोरी कार्ड सुपूर्द कर आरोपी श्री नरेन्द्र सिंह को रिश्वत देने के इन्तजार में खडे हुये। मन् पुलिस निरीक्षक पुलिस व ट्रेप पार्टी सदस्य चिडावा बाईपास पर अपनी-अपनी उपस्थिति छिपाते हुये परिवादी के इशारे के इन्तजार में मुकिम हुये। वक्त 06.54 पीएम पर परिवादी श्री विमलेश कुमार ने कार्यालय का डिजिटल वायस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड सुपूर्द किया जिसे बन्द कर अपने पास सुरक्षित रखा। परिवादी ने बताया कि आरोपी श्री नरेन्द्र सिंह रिश्वत लेने नही आया, हो सकता है वह निकल गया हो नाही उसका फोन आया। वक्त 07.20 पीएम पर परिवादी श्री विमलेश कुमार ने बताया कि मैने गोपनीय रुप से पता किया है कि श्री नरेन्द्र सिंह आज चिड़ावा से बाहर चला गया है इसलिए आज रिश्वत का लेनदेन नही हो सकता है। मै सोमवार को श्री नरेन्द्र सिंह को रिश्वत दुंगा। जिस पर परिवादी की पहनी हुई पेंट से रिश्वत राशि 30,000 रूपये श्री करण सिंह हैड कानि से स्वतंत्र गवाहान के सामने निकलवाकर एक सफेद लिफाफे में डालकर मेरे पास सुररिक्षत रखी। परिवादी को आवश्यक हिदायत कर मौके से रुख्सत किया गया। मन निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान ट्रेप पार्टी सदस्यो के एसीबी कार्यालय झुंझुनूं के लिए रवाना हुआ। वक्त 08.30 पीएम मन निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान ट्रेप पार्टी सदस्यो व पाईवेट वाहन के एसीबी कार्यालय झुंझुनूं पहुंचा। स्वतंत्र गवाहान को आवश्यक हिदायत कर रुख्सत किया गया। शिल्डशुदा आर्टिकल मार्क A व A-1 तथा अनशिल्ड तीन पैन ड्राईव मालखाना में रखने हेतु श्री त्रिलोक सिंह हैड कानि को सुपूर्द किये। डिजिटल वायस रिकार्डर व रिश्वत राशि को अलमारी में सुरक्षित रखा गया। दिनांक 09.06.2025 के वक्त 09.12 एएम पर परिवादी श्री विमलेश कुमार से मन् निरीक्षक पुलिस द्वारा जरिये मोबाईल सम्पर्क किया तो परिवादी ने बताया कि मेरे कुछ जरुरी कार्य है। पहले मेरा काम करुंगा फिर आपको बताता हॅू। परिवादी को अपना कार्य कर दुबारा बात करने की हिदायत की गई। वक्त 09.30 एएम पर पूर्व से पाबन्दुशुदा स्वतंत्र गवाह श्री नितिन सिंह व श्री दिनेश कुमार हाजिर कार्यालय आए। वक्त 10.11 एएम पर परिवादी श्री विमलेश कुमार का स्वयं के मोबाईल नम्बर [redacted] से मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बर [redacted] पर फोन आया और बताया कि मै जरुरी कार्य से झुंझुनूं आया हॅू तीन-चार घण्टे में फ्री होकर आपसे सम्पर्क करता हॅू। परिवादी को आवश्यक हिदायत मुनासिब की गई। वक्त 02.32 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक के मोबाईल नम्बर [redacted] से परिवादी श्री विमलेश कुमार के मोबाईल नम्बर [redacted] पर सम्पर्क किया तो परिवादी ने फोन रिसिव नही किया। वक्त 06.30 पीएम पर परिवादी श्री विमलेश कुमार उपस्थित कार्यालय आया और बताया कि दिनांक 10.06.2025 को सुबह कार्यवाही करवाने के लिए चिड़ावा बाईपास पर उपस्थित मिल जाउंगा। आप चि़ड़ावा ही आ जाना। परिवादी व स्वतंत्र गवाहान को आवश्यक हिदायत कर रुखसत किया गया। दिनांक 10.06.2025 के वक्त 08.00 एएम पर पूर्व से पाबन्दुशुदा स्वतंत्र गवाह श्री नितिन सिंह व श्री दिनेश कुमार हाजिर कार्यालय आए। वक्त 09.15 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय श्री रोहिताश्व सिंह सउनि, त्रिलोक सिंह हैड कानि 155, श्री करण सिंह हैड कानि 104, कुमार सानु कानि. 138, श्री नरेन्द्र कुमार कानि 81, श्री विक्रम सिंह कानि 92, श्री राकेश कानि 243, श्री प्रमोद पुनिया कनिष्ठ सहायक, स्वतंत्र गवाह नितिन सिंह, एवं श्री दिनेश कुमार, कानि दिलीप कुमार को सफेद लिफाफे में रखी रिश्वत राशि 30,000 देकर मय एवं लेपटॅाप, प्रिंटर एवं ट्रेप बॉक्स, डिजिटल वायस रिकार्डर मय मैमोरी कार्ड के प्राईवेट वाहन से चिड़ावा के लिए रवाना हुए। वक्त 10.15 एएम पर मन् निरीक्षक पुलिस मय हमराहियान ट्रेप पार्टी सदस्यो के चिड़ावा बाईपास पहुंच परिवादी श्री विमलेश कुमार से जरिये मोबाईल सम्पर्क

किया तो परिवादी ने बताया कि मै थोडी देर में आपके पास आ रहा हूँ। वक्त 10.30 एएम पर परिवादी श्री विमलेश कुमार स्वयं की गाडी से चिड़ावा-पिलानी बाईपास पर उपस्थित आया। वक्त 10.42 एएम पर परिवादी श्री विमलेश कुमार के मोबाईल नम्बर [redacted] पर आरोपी श्री नरेन्द्र सिंह के मोबाईल नम्बर [redacted] का वाट्सअप कॉल आया तो परिवादी ने कहा की मै एक-डेढ घण्टे में आउंगा जिस पर आरोपी श्री नरेन्द्र सिंह ने कहा की मै कार्यालय में ही मिलुंगा। ए.ई. एन. साहब भी कार्यालय में उपस्थित है। उक्त वार्ता को डिजिटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया। वक्त 11.55 एएम पर मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार परिवादी श्री विमलेश कुमार की जामा तलाशी गवाह श्री नितिन सिंह से लिवाई गई तो परिवादी के पास मोबाईल फोन के अलावा कोई संदीग्ध वस्तु नही रहने दी गई। कानि दलीप कुमार न 10 के पास लिफाफे में रखी रिश्वती राशि 30,000 रुपये निकालकर परिवादी की पहनी पेंट की दाहिनी जेब में रखवाये गये। कानि दलीप कुमार को एसीबी कार्यालय में जाने की हिदायत कर रुखसत किया गया। परिवादी एवं समस्त ट्रेप पार्टी सदस्यो के हाथ साफ पानी व साबुन से धुलवाये गये। वक्त 12.05 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय श्री रोहिताश्व सिंह सउनि, श्री करण सिंह हैड कानि, श्री त्रिलोक सिंह हैड कानि, श्री राकेश कुमार कानि, श्री विक्रम सिंह कानि, श्री नरेन्द्र कुमार कानि, श्री प्रमोद पूनिया क.स. स्वतंत्र गवाह श्री दिनेश कुमार मय निजी वाहन से तथा परिवादी की गाडी से परिवादी श्री विमलेश कुमार, श्री कुमार सानु कानि, स्वतंत्र गवाह श्री नितिन सिंह को सहायक अभियंता कार्यालय चिड़ावा के लिए आरोपी श्री नरेन्द्र सिंह को रिश्वत राशि देने के लिए रवाना कर हिदायत खास की एवं मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराही टीम के भी अग्रीम कार्यवाही हेतु सहायक अभियंता कार्यालय के लिए रवाना हुआ। डिजिटल वॉयस रिकार्डर कानि कुमार सानु को सुपूर्द कर हिदायत मुनासिब की गई। वक्त 12.15 पीएम पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान के कार्यालय सहायक अभियंता के पास पहुंचकर वाहन को साईड में खडा कर सभी ट्रेप पार्टी सदस्यो को सहायक अभियंता कार्यालय के आसपास तैनात किया गया। वक्त 12.22 पीएम पर कानि कुमार सानु मय परिवादी श्री विमलेश कुमार व गवाह श्री नितिन सिंह को परिवादी की गाडी सहित कार्यालय सहायक अभियंता चिड़ावा में रिश्वत राशि देने हेतु रवाना किया गया। मन् पुलिस निरक्षक मय ट्रेप पार्टी सदस्य परिवादी के तय ईशारे इन्तजार में अपनी-अपनी उपस्थिति छिपाते हुये मुकिम हुये। वक्त 12.55 पीएम पर परिवादी श्री विमलेश कुमार मय कानि कुमार सानु व गवाह श्री नितिन सिंह परिवादी की गाडी सहित कार्यालय सहायक अभियंता चिड़ावा से बिना ईशारा किये वापस आ गये। परिवादी ने बताया कि आरोपी श्री नरेन्द्र सिंह कार्यालय में उपस्थित था जिसने रिश्वत राशि बाद में बाहर लेने की कही है। मन पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान व परिवादी के पावर हाउस के पास गली में मुकिम हुये। वक्त 01.19 पीएम पर परिवादी श्री विमलेश कुमार के मोबाईल नम्बर [redacted] से आरोपी श्री नरेन्द्र सिंह के मोबाईल नम्बर [redacted] पर वाट्सअप कॉल करवाया तो आरोपी श्री नरेन्द्र सिंह ने कहा की मै आपके पास मोटर साईकिल लेकर आ रहा हूँ आप किस जगह हो, जिस पर परिवादी ने बताया कि मै पावर हाउस के पीछे विकास नगर में मेरी गाडी में बैठा हूँ। उक्त वार्ता को डिजिटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को डिजिटल वॉयस रिकार्डर चालु कर दिया तथा सभी ट्रेप पार्टी सदस्यो को आसपास की गलियो में मुकिम रहने के लिए निर्देशित किया गया। मन् पुलिस निरीक्षक मय श्री रोहिताश्व सिंह सउनि, श्री त्रिलोक सिंह हैड कानि, श्री करण सिंह हैड कानि, श्री कुमार सानू कानि, श्री राकेश कुमार कानि, श्री विक्रम सिंह कानि, श्री नरेन्द्र कुमार कानि, श्री प्रमोद पूनियां क0स0 स्वतंत्र गवाह श्री नितिन सिंह, व दिनेश कुमार एवं परिवादी श्री विमलेश कुमार मय प्राईवेट वाहन पाउर हाउस के पीछे की गली में वाहन को साईड में खडा कर परिवादी व समस्त टीम को ब्रीफ किया गया। परिवादी ने बताया अभी-अभी मेरी श्री नरेन्द्र सिंह से वार्ता हुई है जो मेरे पास गली में रिश्वत राशि लेने के लिए आयेगा जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी को डिजिटल वॉयस रिकार्डर रिकार्डर सुपूर्द कर आवश्यक हिदायत कर वही ट्रेप पार्टी सदस्यो को अलग-अलग गलियो में परिवादी के तय ईशारे के इंतजार में ट्रेप का जाल बिछाया गया। कुछ समय बाद मौके पर एक व्यक्ति मोटर साईकिल से आया जहा परिवादी अपनी गाडी से उतर कर उस व्यक्ति से बात करने लगा तथा उसी समय परिवादी उसी व्यक्ति की मोटर साईकिल पर बैठकर सहायक अभियंता कार्यालय की ओर मुख्य सडक की तरफ गया तथा घुमकर वापस वही मोटर साईकिल से परिवादी की गाडी के पास आ गये। समय 01.31 पीएम पर परिवादी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्ति का तय ईशारा प्राप्त होने पर मन् पुलिस निरीक्षक मय ट्रेप पार्टी सदस्यो के रवाना हो परिवादी के पास जाने लगे तभी उस व्यक्ति ने परिवादी को धक्का देकर गली में भागने लगा जिसके पीछे परिवादी तथा गवाह श्री दिनेश कुमार एवं मन् पुलिस निरीक्षक मय जाप्ता के परिवादी व हमराही जाप्ता की मदद से पैदल भागते हुये उक्त व्यक्ति को घेरा देकर बडी मुश्किल से पकडा तथा उससे भागने के बारे में पूछा तो धबरा गया और वह व्यक्ति चुप रहा। उक्त व्यक्ति ने भागते समय रिश्वती राशि को पहनी हुई शर्ट की जेब में से निकालकर पास में खाली प्लाट जिसमें चार दिवारी है में फेंक दिये। मन् पुलिस निरीक्षक ने परिवादी से डिजिटल वाईस रिकार्डर प्राप्त कर बन्द किया। मन् पुलिस निरीक्षक ने उक्त व्यक्ति को अपना तथा हमराहियान का परिचय दिया व उसको तसल्ली देकर नाम पता पूछा तो उसने घबराते हुये अपना नाम नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह उम्र 55 साल जाति राजपूत निवासी वार्ड न 06, सुलताना पुलिस थाना सुलताना जिला झुंझुनूं हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय सहायक अभियंता एवीवीएनएल (ओ.एण्ड.एम.) चिड़ावा जिला झुंझुनूं होना बताया एवं परिवादी से रिश्वती राशि लेने बाबत पूछा तो उसने कहा कि मैने इनसे कोई रुपये

नही लिये है। मौके पर ही मौजुद परिवादी श्री विमलेश कुमार ने कहा की श्री नरेन्द्र सिंह झुठ बोल रहा है तथा इन्होने आज मेरे से रिश्वती राशि लेकर पहनी हुई शर्ट की उपर की जेब में रख ली तथा मुझ पर शंका होने पर श्री नरेन्द्र सिंह ने मेरे धक्का देकर पैदल ही गली में भागने लगा तथा भागते समय पास के प्लाट में रिश्वती राशि अपनी जेब से निकालकर फेंक दी। मौके पर ही मन् पुलिस निरीक्षक के निर्देशानुसार श्री नरेन्द्र सिंह का दाहिना हाथ कलाईयो के उपर से श्री विक्रम सिंह कानि तथा बाया हाथ कलाईयो के उपर से श्री राकेश कुमार कानि से पकडवाये गये। मन् पुलिस निरीक्षक मय स्वतंत्र गवाहान श्री नरेन्द्र सिंह द्वारा जिस प्लाट में रिश्वती राशि फैंकी गई थी उक्त प्लाट में प्रवेश किया तो खाली प्लाट में एक नोटो की थई दिखाई दी जिसे स्वतंत्र गवाह श्री दिनेश कुमार से उठाकर नोटो का मिलान पूर्व में बनी फर्द से करवाया तो दोनो गवाहान ने मुताबिक फर्द 30,000 रुपये होना बताया जिसे श्री दिनेश कुमार के पास सुरक्षित रखवाये गये। मौके पर आस पडौस के मौहल्ले निवासियो के एकत्रित होने पर व दिन के समय अत्यधिक गर्मी होने से एवम सुरक्षा की दृष्टी से श्री नरेन्द्र सिंह के दोनो हाथ पकड़कर गाडी में बैठाकर कार्यालय सहायक अभियंता चिड़ावा पहुंचा जहां कार्यालय सहायक अभियंता में बैठे व्यक्ति को मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना परिचय देकर उक्त व्यक्ति से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम श्री आजाद सिंह सहायक अभियंता, (ओ. एण्ड. एम.) एवीवीएनएल चिड़ावा होना बताया। मन् पुलिस निरीक्षक ने श्री आजाद सिंह सहायक अभियंता को की गई कार्यवाही से अवगत करा पूछताछ हेतु हमरा साथ लिया तथा अग्रीम कार्यवाही हेतु पुलिस थाना चिड़ावा के लिए रवाना हुये। समय 02.20 पी.एम पर पुलिस थाना चिड़ावा पहुंच एक खाली कमरे में समय 02.25 पी.एम. पर अग्रीम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। श्री नरेन्द्र सिंह को पुनः तसल्ली देकर मन पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी श्री विमलेश कुमार से रिश्वत में लिये गये 30,000 रुपये के बारे में पूछा तो श्री नरेन्द्र सिंह ने बताया कि श्री विमलेश कुमार हमारे आफिस में सौर उर्जा की फाईलो को सब्सीडी हेतु जमा करवाता है तथा आफिस में आता जाता रहता है। मैने श्री विमलेश कुमार से कभी भी रुपये की मांग नही की थी। मै आज विमलेश कुमार के पास आया तब उन्होने जबरदस्ती रुपये मेरी जेब में रख दिये। मैने विमलेश कुमार से रुपये की मांग नही की थी। श्री विमलेश कुमार ने सौर उर्जा की कितनी फाईले हमारे कार्यालय में जमा करवाई है इसकी मुझे जानकारी नही है क्योकि हमारे कार्यालय में सौर उर्जा की फाईले जमा होती रहती है। पास ही बैठे परिवादी श्री विमलेश कुमार ने आरोपी श्री नरेन्द्र सिंह की कथनो का खण्डन करते हुये कहा की मै दिनांक 05.06.2025 को ए.ई.एन. कार्यालय में मेरे द्वारा जमा करवाई गई सौर उर्जा की फाईलो के बारे में बातचीत की तो श्री नरेन्द्र सिंह ने सौर उर्जा की फाईलो को ए.ई.एन. श्री आजाद सिंह से अप्रुव कराने की एवज में मेरे से 40,000 रुपये रिश्वत की मांग की। रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान श्री नरेन्द्र सिंह फाईलो के बारे में मिला तो उन्होने श्री आजाद सिंह ए.ईन.एन. मे मिलने के लिए कहा। मै श्री आजाद सिंह सहायक अभियंता से मिला तो इन्होने मेरी फाईलो को अप्रूव करने की एवज में मेरे से 38,000 रुपये रिश्वत की मांग की। मेरे कम करने के निवेदन पर एईएन ने कम करके 30,000 रुपये पर सहमत हुये और कहा नरेन्द्र सिंह को पकडा जाना फिर मै पुनः श्री नरेन्द्र सिंह से मिला तथा उनसे निवेदन करने पर नरेन्द्र सिंह 30,000 रुपये लेने पर सहमत हो गया। मै आज श्री नरेन्द्र सिंह से मिला तो उन्होने मुझे बाहर मिलने के लिए कहा। श्री नरेन्द्र सिंह मोटर साईकिल से पावर हाउस के पीछे की गली विकास नगर में मेरी गाडी के पास रिश्वत के रुपये लेने के लिए आया जिन्होने मुझे मोटर साईकिल पर बैठाकर सहायक अभियंता कार्यालय की ओर गये तथा वापस पुनः मोटर साईकिल से ही मेरी गाडी के पास आ गये तथा जहा श्री नरेन्द्र सिंह ने मेरे से रिश्वत के 30,000 रुपये लेकर अपनी पहनी हुई शर्ट की उपर की जेब में रख ली तथा मेरे द्वारा एसीबी टीम को रिश्वती राशि लेने का ईशारा किया तो श्री नरेन्द्र सिंह को शंका हो गई जिन्होने अपनी मोटर साईकिल गिराते हुये मुझे धक्का मारकर भागते समय रिश्वती राशि अपनी पहनी हुई शर्ट की जेब से निकालकर पास में खाली प्लाट में फेंक दिये। श्री आजाद सिंह, सहायक अभियंता एवीवीएनएल ओ.एण्ड एम. चिड़ावा को परिवादी श्री विमलेश कुमार से रिश्वत राशि मांग करने के बारे में पूछा गया तो श्री आजाद सिंह ने बताया कि श्री विमलेश कुमार दिनांक 05.06.2025 को मेरे पास सौर उर्जा की फाईले जमा करवाने आया था। फाईल जमा की रसीद पर मेरे हस्ताक्षर होते है। मैने श्री विमलेश कुमार से रिश्वत की मांग नही थी। श्री विमलेश कुमार ने श्री आजाद सिंह सहायक अभियंता की बातो का खण्डन करते हुये बताया कि मै दिनांक 05.06.2025 को श्री आजाद सिंह सहायक अभियंता से उनके कार्यालय में मिला तो इन्होने मेरे द्वारा सौर उर्जा की सब्सीडी हेतु जमा करवाई गई 07 फाईलो को अप्रूव करने की एवज में मेरे से 38,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई। मेरे कम करने की कहने पर 30,000 हजार रुपये पर सहमत हुये। तत्पश्चात श्री करण सिंह हैडकानि. के दोनो हाथों एवं दो प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलासो को पानी व साबुन से धुलवाकर दोनों गिलासों में साफ पानी भरवाकर सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार करवाया गया जो उपस्थितगणों ने रंगहीन होना बताया जिसमें से एक गिलास में आरोपी श्री नरेन्द्र सिंह के दाहिनें हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग हल्का गुलाबी हो गया व दूसरे गिलास में आरोपी के बाये हाथ के अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गदमेलासा हो गया, जिनको दो-दो साफ कांच की शीशियों में आधा-आधा भरकर सील चिट चस्पा कर क्रमशः मार्क R-1, R-2 एवं L-1, L-2 अंकित कर संबंधित के हस्ताक्षर करवा कब्जा एसीबी लिया गया। प्लास्टिक के डिस्पोजल ग्लासों को जलाकर नष्ट किया गया। तत्पष्चात श्री करण सिंह हैड कानि के दोनो हाथ एवं प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास साफ पानी व साबुन मे धुलवाकर प्लास्टिक के गिलास में साफ पानी भरकर सोडियम कार्बोनेट का घोल तैयार किया जो रंगहीन था सभी

हाजरिन को तैयार घौल दिखाया गया तो सभी ने घोल रंगहीन होना बताया। आरोपी श्री नरेन्द्र सिंह की पहनी हुई शर्ट को सम्मान पूर्वक उतरावकर शर्ट की जेब को सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया, सभी हाजरिन को दिखाया गया तो सभी ने हल्का गुलाबी होना स्वीकार किया। दो कांच की शिशियो को साबुन पानी मे धुलवाकर शर्ट के धोवन को दो साफ कांच की शिशियो में आधा-आधा भरकर शिशियो पर चिट चस्पा कर सील मोहर किया जिन पर मार्क एस-1, एस-2 अंकित कर संबंधितो के हस्ताक्षर करवा कर कब्जा एसीबी लिया गया एवं प्लास्टिक के डिस्पोजल ग्लास को नष्ट करवाया गया। आरोपी श्री नरेन्द्र सिंह द्वारा पहनी हुई शर्ट को सुखाकर जेब पर संबंधित के हस्ताक्षर करवाकर एक सफेद कपड़े की थैली में रख सील मोहर कर, कपडे की थैली पर सबंधित के हस्ताक्षकर करवाकर मार्क बी अंकित किया गया। आरोपी श्री नरेन्द्र सिंह को दुसरी टी शर्ट उपलब्ध करवा पहनाई गई। गवाह श्री दिनेश कुमार के पास सुरक्षित रखवाये गये 30,000 रुपये रिश्वत राशि को पेश करने की कहने पर गवाह श्री दिनेश कुमार ने अपने पास से 500-500 रुपये के 60 नोट कुल 30,000 रूपये पेश किये। उक्त नोटो का गवाहान से पूर्व में बनी फर्द पेशकशी से मिलान करवाया गया तो गवाहान ने बरामद 500-500 रूपये नोट पूर्व की फर्द पेशकशी के मुताबिक होना पाये गये। बरामद नोटो का विवरण निम्नानुसार है:- 1.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी - 0AC 792116, 2.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी - 4CD 774988, 3.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी - 9HF 988371, 4.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी - 0LP 478054, 5.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी - 7DU 993270, 6.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी - 3SR 033381, 7.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी - 3CM 177992, 8.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी - 6GK 226080, 9.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी - 0HU 723285, 10.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी - 5EQ 475567, 11.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -1BV 220610, 12.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -6BC 405664, 13.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -7CP 541865, 14.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -7QV 743894, 15.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -4KF 070600, 16.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -5RQ 358669, 17.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -6QL 649978, 18.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -8KE 759522, 19.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -8KE 759523, 20.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -8KE 759524, 21.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -8KE 759525, 22.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -8KE 759526, 23.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -8KE 759527, 24.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -8KE 759528, 25.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -8KE 759529, 26.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -8KE 759530, 27.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -8KE 759531, 28.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -6KL 851522, 29.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -8KE 759532, 30.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -1FS 629988, 31.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -7TR 323450, 32.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -3QE 795771, 33.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -8MS 408656, 34. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -6EC 870957, 35.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -2AL 105978, 36.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -1DR 107877, 37.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -5PB 866976, 38.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -1DF 069297, 39.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -4GC 651642, 40.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -6FW 330572, 41. एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -1EH 517874, 42.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -8UE 488477, 43.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -2GC 341470, 44.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -8SN 709823, 45.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -7HQ 928029, 46.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -0TW 217661, 47.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -2AV 634348, 48.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -3MW 526890, 49.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -2DC 218659, 50.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -5EF 997743, 51.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -6KE 935187, 52.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -0UD 557935, 53.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -6CU 690327, 54.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -8AV 013593, 55.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -7DD 142234, 56.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -9FF 960428, 57.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -2KR 633970, 58.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -9ER 913763, 59.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -4CP 966968, 60.एक नोट पांच सौ रूपये का नम्बरी -0TT 810871 बरामदशुदा उपरोक्त 30,000 रूपयों के नोटां को एक सफेद कागज में सीलवाकर सील्ड मोहर कर हाजरीन के हस्ताक्षर करवाकर बतौर वजह सबूत जप्त कर कब्जा एसीबी लिये गये। परिवादी श्री विमलेश कुमार द्वारा प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत सहायक अभियंता कार्यालय एवीवीएनएल चिड़ावा में जमा करवाई गई पत्रावलियो का रिकार्ड चाहने बाबत श्री करण सिंह हैड कानि को भेजा गया। श्री अरुण बड़सीवाल, कनिष्ठ अभियंता कार्यालय सहायक अभियंता एवीवीएनएल ओ.एण्डएम. चिड़ावा ने परिवादी श्री विमलेश कुमार द्वारा सहायक अभियंता कार्यालय चिड़ावा में जमा करवाई गई पत्रावलियो की प्रमाणित प्रति पेश कर बताया कि श्री विमलेश कुमार द्वारा श्री कृष्ण कुमार बाछुका निवासी वार्ड न 21 चिड़ावा की पत्रावली दिनांक 03.06.2025 को जमा करवाई गई जिसमें डिमाण्ड नोटिस की राशि 3800 रुपये

जमा हो गई है जिनका कनेक्शन नही हुआ है। उक्त पत्रावली पेज संख्या 01 से 39 तक है। श्रीमती बिन्दु निवासी वार्ड न 32 चिड़ावा की पत्रावली दिनांक 04.06.2025 को जमा करवाई गई है जिसका डिमाण्ड नोटिस की राशि 600 रुपये दिनांक 05.06.025 को जारी हुआ है जिसकी राशि जमा नही हुई है जिसके पेज संख्या 01 से 34 तक है। श्रीमती सरिता शर्मा निवासी रेल्वे स्टेशन चिड़ावा की पत्रावली दिनांक 02.06.2025 को जमा हुई जिसका डिमाण्ड नोटिस की राशि 2500 रुपये दिनांक 09.06.2025 को जमा हुई है जिसके पेज संख्या 01 से 34 तक है। श्री शशिकान्त निवासी मण्ड्रेला रोड़ चिड़ावा की पत्रावली दिनांक 03.06.2025 को जमा हुई है जिसका डिमाण्ड नोटिस राशि 3600 रुपये का दिनांक 09.06.2025 को जमा हुआ है। जिसमें पेज संख्या 01 से 24 तक है। श्री ललीत भगेरिया निवासी चिड़ावा की पत्रावली दिनांक 03.06.2025 को जमा हुई है जिसका डिमाण्ड नोटिश राशि 1267 रुपये का डिमाण्ड दिनांक 05.06.2025 को जारी हुआ है जिसका डिमाण्ड नोटिस जमा नही हुआ है जो पेज संख्या 01 से 35 तक है। श्रीमती संगीता भगेरिया निवासी वार्ड न 01 चिड़ावा की पत्रावली दिनांक 02.06.2025 को जमा हुई है जिसका डिमाण्ड नोटिस 1500 रुपये का दिनांक 05.06.2025 को जारी हुआ है जिसकी डिमाण्ड राशि जमा नही हुई है जो पेज संख्या 01से 38 तक है। उक्त सभी पत्रावलिया कार्यालय रिकार्ड में उपलब्ध पत्रावलियो से फोटो प्रति श्री अरूण बड़सीवाल, कनिष्ठ अभियंता द्वारा प्रमाणित करवाई गयी। प्राप्त पत्रावलियो के प्रथम व अन्तिम पेज पर संबधितो के हस्ताक्षर करवाकर बाद अवलोकन शामिल कार्यवाही की गई। आरोपी श्री नरेन्द्र सिंह के कब्जे से मिला मोबाईल फोन मोटोरोला कम्पनी बरंग ग्रे जिसमें एक सीम जीओ नम्बर [redacted]की लगी हुई है। उक्त मोबाईल नम्बर से आरोपी श्री नरेन्द्र सिंह द्वारा परिवादी श्री विमलेश कुमार से वाटसअप कॉल की गई है, आरोपी व परिवादी के मध्य हुई वाटसअप काल की प्रिन्ट आउट निकालकर संबंधित के हस्ताक्षर करवा शामिल कार्यवाही की गई। आरोपी श्री नरेन्द्र सिंह के मोबाईल को एक सफेद कपडे की थैली में डालकर सील्ड मोहर कर थैली पर संबंधित के हस्ताक्षर करवा मार्क सी अंकित किया जाकर बतौर वजह सबुत कब्जा एसीबी लिया गया। आरोपी श्री आजाद सिंह के पास मिला मोबाईल एस 24 अल्ट्रा सैमसंग कम्पनी बरंग काला में लगी सीम जियो कम्पनी नम्बर [redacted] को चैक किया गया तो उक्त मोबाईल नम्बर से परिवादी की बात एवं वॉटसअप चैटिंग नही होना पाया गई। आरोपी श्री नरेन्द्र सिंह, सहायक प्रशानिक अधिकारी की हाथ धुलाई, धोवन की शिशियो को शिल्ड करने की कार्यवाही की विडियोग्राफी मोबाईल में लगे मैमोरी कार्ड में कार्यालय के श्री प्रमोद पूनिया से रिकार्ड करवाई गई। उक्त मैमोरी कार्ड को मोबाईल से निकालकर लेपटॉप से जोडकर दुसरे मैमोरी कार्ड में डाउनलोड किया गया। डाउनलोड किये मैमोडी कार्ड को खुला रखा गया तथा मूल मैमोरी कार्ड एक सफेद कपडे की थैली में रखकर शिल्ड कर मार्क डी अंकित किया गया। बरामदगी स्थल रिश्वत राशि स्थल पर भिड़ भाड़ होने के कारण बरामदी स्थल की विडियोग्राफी नही जा सकी। फर्द हाथ धुलाई समय 05.25 पी.एम. पर सम्पन्न की गई। समय करीब 02.30 पी.एम पर श्रीमान अति पुलिस अधीक्षक श्री इस्माईल खान भ्र0नि0ब्यूरो झुंझुनूं वास्ते सुपरविजन हेतु पुलिस थाना चिड़ावा पर उपस्थित आये। श्रीमान को अब तक की गई कार्यवाही व हालात निवेदन किये गये। निर्देशानुसार अग्रीम कार्यवाही की गई। समय 02.35 पी.एम पर मन् पुलिस निरीक्षक द्वारा पूर्व से पाबन्दशुदा श्री सुभाष चन्द पुलिस निरीक्षक, एसीबी सीकर को आरोपी श्री नरेन्द्र सिंह सहायक प्रशानिक अधिकारी के निवास स्थान सुलताना एवं श्री महेन्द्र कुमार चावला पुलिस निरीक्षक एसीबी चूरु को आरोपी श्री आजाद सिंह सहायक अभियंता के निवास स्थान ग्राम गादली की खाना तलाशी हेतु सूचना दी गई। आरोपी श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह उम्र 55 साल जाति राजपूत निवासी वार्ड न0 06, सुलताना पुलिस थाना सुलताना जिला झुंझुनूं हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय सहायक अभियंता एवीवीएनएल (ओ.एण्ड.एम.) चिड़ावा जिला झुंझुनूं द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर परिवादी श्री विमलेश कुमार द्वारा कार्यालय सहायक अभियंता (ओ. एण्ड एम.) चिड़ावा में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना तहत जमा करवाई गई फाईलो में सब्सीडी श्री आजाद सिंह सहायक अभियंता से अप्रूव कराने की एवज में 40,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई। दौराने रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 05.06.2025 को आरोपी श्री नरेन्द्र सिंह द्वारा परिवादी श्री विमलेश कुमार से 30,000 रुपये रिश्वत लेना तय किया। रिश्वत मांग के अनुशरण में दिनांक 10.06.2025 को आरोपी श्री नरेन्द्र सिंह को परिवादी श्री विमलेश कुमार से 30,000 रुपये रिश्वत लेना अन्तर्गत धारा 7 पी.सी. एक्ट 1988 (यथा संशोधित2018) एवं 61 (2) बी.एन.एस. 2023 की परिधि में आने पर जूर्म से आगाह कर एवं संवैधानिक अधिकारो से अवगत कराया जाकर जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना श्री अरुण बड़सीवाल, कनिष्ठ अभियंता को दी गई। आरोपी श्री आजाद सिंह पुत्र श्री ताराचन्द, उम्र 45 साल जाति जाट निवासी गादली, पुलिस थाना बुहाना जिला झुंझुनूं हाल सहायक अभियंता, कार्यालय सहायक अभियंता एवीवीएनएल (ओ.एण्ड.एम.) चिड़ावा जिला झुंझुनूं द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर परिवादी श्री विमलेश कुमार द्वारा कार्यालय सहायक अभियंता (ओ. एण्ड एम.) चिड़ावा में प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना तहत जमा करवाई गई फाईलो में सब्सीडी अप्रूव कराने हेतु जमा करवाई थी। परिवादी विमलेश कुमार दिनांक 05.06.2025 को आरोपी श्री नरेन्द्र सिंह से अपने कार्य के संबंध में मिला तो आरोपी श्री नरेन्द्र सिंह ने परिवादी को आरोपी श्री आजाद सिंह सहायक अभियंता से मिलने के लिए कहा गया। आरोपी श्री आजाद सिंह सहायक अभियंता द्वारा परिवादी की फाईलो को अप्रूव करने की एवज में परिवादी श्री विमलेश कुमार से 38,000 रुपये रिश्वत की मांग की गई। परिवादी द्वारा कम करने का निवेदन करने पर 30,000 रुपये मांगना एवं श्री नरेन्द्र सिंह को देने की

कहना तथा रिश्वत मांग के अनुशरण में दिनांक 10.06.2025 को आरोपी श्री नरेन्द्र, सहायक प्रशानिक अधिकारी को परिवादी श्री विमलेश कुमार से 30,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार होना। इस तरह आरोपी श्री आजाद सिंह सहायक अभियंता का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7 पी.सी. एक्ट 1988 (यथा संशोधित2018) एवं 61 (2) बी.एन.एस. 2023 की परिधि में आने पर जूर्म से आगाह कर एवं संवैधानिक अधिकारो से अवगत कराया जाकर जरिये फर्द पृथक से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी की सूचना श्री अरुण बड़सीवाल, कनिष्ठ अभियंता को दी गई। श्री विमलेश कुमार के मोबाईल नम्बर [redacted] से आरोपी श्री नरेन्द्र सिंह के मोबाईल नम्बर [redacted] पर दिनांक 06.06.2025, 08.06.2025, 10.06.2025 को वाट्सअप पर हुई वार्ता एवं वक्त रिश्वत लेनदेन आरोपीगण श्री नरेन्द्र सिंह व श्री आजाद सिंह से हुई वार्ता को डिजिटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में परिवादी द्वारा रिकार्ड किया गया था। डिजिटल वॉयस रिकार्डर को कार्यालय के लेपटॉप से जोड़कर रिकार्ड वार्ता को सुनकर फर्द वार्ता रुपान्तरण कानि नरेन्द्र कुमार से तैयार करवाई गई। मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता परिवादी एवं स्वतंत्र गवाह को सुनाई तो फर्द वार्ता रुपान्तरण परिवादी व स्वतंत्र गवाहान ने रिकार्डिंग वार्ता के अनुसार होना बताया। डिजीटल वॉयस रिकार्डर में लगे मैमोरी कार्ड में रिकार्ड वार्ता को लेपटॉप से कनेक्ट कर उक्त वार्ता की चार पेनड्राईव कम्पनी Consistent 8 GB के तैयार किये गये। मैमोरी कार्ड एवं शिल्ड किये जाने वाले पेनड्राईव की हैश वैल्यु पृथक से निकाल कर सम्बन्धित के हस्ताक्षर करवाकर शामिल कार्यवाही की गई। एक पेनड्राईव कम्पनी Consistent 8 GB को उसी की पैकिंग में रखकर सफेद कपडे की थैली में डालकर कपडे की थैली को शिल्ड किया जाकर पैकेट पर गवाहान एवं संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर कपडे की थैली पर मार्क ई अंकित किया गया। दो पेनड्राईव आरोपीगण हेतु.व एक पेनड्राईव अन्वेषण हेतु खुले रखे गये। डिजीटल टेपरिकार्डर से मैमोरी कार्ड Chiptron 8 जी.बी. को निकालकर उसे उसी की पैकिंग में रखकर एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर कपडे की थैली को सील्ड कर पैकेट पर गवाहान एवं संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर पैकेट पर मार्क ई-1 अंकित किया गया। सील्ड पैकेटों को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। पेनड्राईव को लेपटॉप एवं टेबल स्पीकर से चलाकर सुनाया गया तो रिकार्ड आवाज में परिवादी ने एक आवाज स्वयं की तथा दुसरी आवाज आरोपी श्री नरेन्द्र सिंह सहायक प्रशानिक अधिकारी की आवाज होने की पहचान की है। वक्त 10.45 पीएम पर स्वतंत्र गवाहान, परिवादी श्री विमलेश कुमार एवं आरोपीगण श्री नरेन्द्र सिंह, सहायक प्रशानिक अधिकारी व श्री आजाद सिंह सहायक अभियंता कार्यालय सहायक अभियंता एवीवीएनएल ओ.एण्डएम चिड़ावा में प्रादर्शो को सील्ड करने में काम में ली गई पीतल की सील नम्बर 28 को कार्यालय के श्री राकेश कुमार कानि 243 मे नष्ट कराई जाकर फर्द नमूना शील नष्टीकरण तैयार की गई। फर्द नमूना शील नष्टीकरण की एक प्रति स्वतंत्र गवाह श्री नितिन सिंह को दी गई। अब तक की ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री नरेन्द्र सिंह पुत्र श्री श्याम सिंह उम्र 55 साल जाति राजपूत निवासी वार्ड न0 06, सुलताना पुलिस थाना सुलताना जिला झुंझुनूं हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय सहायक अभियंता एवीवीएनएल (ओ.एण्ड.एम.) चिड़ावा जिला झुंझुनूं एवम् आरोपी श्री आजाद सिंह पुत्र श्री ताराचन्द, उम्र 45 साल जाति जाट निवासी गादली, पुलिस थाना बुहाना जिला झुंझुनूं हाल सहायक अभियंता, कार्यालय सहायक अभियंता एवीवीएनएल (ओ.एण्ड.एम.) चिड़ावा जिला झुंझुनूं द्वारा अपने पद का दुरूपयोग कर एवम मिलीभगत कर परिवादी श्री विमलेश कुमार प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना तहत जमा करवाई गई फाईलो में सब्सीडी अप्रूव कराने की एवज में 40,000 रुपये रिश्वत की मांग करना। दौराने रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 05.06.2025 को आरोपी श्री नरेन्द्र सिंह द्वारा परिवादी श्री विमलेश कुमार से 30,000 रुपये रिश्वत लेना तय करना एवम रिश्वत मांग के अनुशरण में दिनांक 10.06.2025 को आरोपी श्री नरेन्द्र सिंह द्वारा परिवादी श्री विमलेश कुमार से 30,000 रुपये रिश्वत राशि प्राप्त कर रंगे हाथो गिरफतार होने पर अपराध अन्तर्गत धारा 7 पी.सी. एक्ट 1988 (यथा संषोधित 2018) एवं 61 (2) बी.एन.एस. 2023 की परिधि में आता है। अतः आरोपीगण श्री नरेन्द्र सिंह शेखावत पुत्र श्री श्याम सिंह शेखावत उम्र 55 साल जाति राजपूत निवासी वार्ड न0 06, सुलताना पुलिस थाना सुलताना जिला झुंझुनूं हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय सहायक अभियंता एवीवीएनएल (ओ.एण्ड.एम.) चिड़ावा जिला झुंझुनूं एवम् श्री आजाद सिंह पुत्र श्री ताराचन्द, उम्र 45 साल जाति जाट निवासी गादली, पुलिस थाना बुहाना जिला झुंझुनूं हाल सहायक अभियंता, कार्यालय सहायक अभियंता एवीवीएनएल (ओ. एण्ड.एम.) चिड़ावा जिला झुंझुनूं के विरूद्ध जुर्म धारा 7 पी.सी. एक्ट 1988 (यथा संषोधित 2018) एवं 61 (2) बी.एन. एस. 2023 में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट चाक की जाकर क्रमांकन हेतु सी.पी.एस ए.सी.बी जयपुर को प्रेषित है। (सुरेश चंद) पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झुन्झुनूं।.............कार्यवाही पुलिस............प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री सुरेश चन्द, पुलिस निरीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,झुन्झुनूं ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 61 (2) बी.एन.एस. 2023 में आरोपीगण 1- श्री नरेन्द्र सिंह शेखावत पुत्र श्री श्याम सिंह शेखावत उम्र 55 साल जाति राजपूत निवासी वार्ड न. 06, सुलताना पुलिस थाना सुलताना जिला झुंझुनूं हाल सहायक प्रशासनिक अधिकारी, कार्यालय सहायक अभियंता एवीवीएनएल (ओ.एण्ड.एम.) चिड़ावा जिला झुंझुनूं एवं 2- श्री आजाद सिंह पुत्र श्री ताराचन्द, उम्र 45 साल जाति जाट निवासी गादली, पुलिस थाना बुहाना जिला झुंझुनूं हाल सहायक अभियंता, कार्यालय सहायक अभियंता एवीवीएनएल (ओ.एण्ड.एम.) चिड़ावा जिला झुंझुनूं के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार

जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्री विजय कुमार, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 772 पर अंकित है। (डॉ. प्यारे लाल शिवरान) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो राजस्थान जयपुर। क्रमांक 849-53 दिनांक 11.06.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.-विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, झुन्झुनूं 2.-अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर, 3.-प्रबन्ध निदेशक, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, अजमेर। 4-उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो जयपुर चतुर्थ, 5-.अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो झुन्झुनूं ।पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** VIJAY KUMAR **Rank (पद):** अपर पुलिस अधीक्षक

No(सं.): to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई।)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pyare Lal Shivran
Location: Rajasthan,IN
Date: 11/06/2025 20:...

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): DR PYARE LAL SHIVRAN

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1970				
2	Male	1980				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)						Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)		
14	15	16	17	18	19		20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)